[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	द्वारा मु.न. - 147/2025
07.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी को जारी सम्मन असालतन तामील होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शमिल पत्रावली की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम कोटडी सिमारला के भूमि खाता सख्या 103 मे प्रार्थी का नाम मुकेश पुत्र मालीराम हिस्सा 1/24, श्योचन्द पुत्र मालीराम हिस्सा 1/24 जाति जाट जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। उक्त नाम जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 395 से दर्ज रिकार्ड हुआ है। श्योचन्द पुत्र मालीराम व सोहनलाल पुत्र मालीराम एक ही व्यक्ति है तथा मुकेश पुत्र मालीराम व अजय कुमार पुत्र मालीराम जाति जाट एक ही व्यक्ति होने से नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में की है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील वादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् नामान्तकरण संख्या 395, जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077, 2070-2073, 2066-2069, 2062-2065, 2058-2061, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, आधार कार्ड की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी माध्यमिक शिक्षा की अंकतालिका व [illegible] राशन कार्ड की प्रति, आयकर [illegible] पटवारी हल्का कोटडी सिमारला व [illegible] से प्राप्त जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिन [illegible] अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला के भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 1.50 हैक्टर, 365 रकबा 2.63 हैक्टर, 422 रकबा 0.56 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.69 हैक्टर में वादीगण का नाम क्रमशः श्योचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

[illegible] 140/2025

एवं मालीराम एवं मुकेश पुत्र मालीराम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त नाम वादीगण के पिता मालीराम खातेदार की दिनांक 12.12.2008 को मृत्यु होने पर जरिये विरासतन नामान्तकरण संख्या 95 के द्वारा खातेदारी वादीगण व इनकी माता व बहिनों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा इसके बाद जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में वादीगण का नाम श्योचन्द पुत्र मालीराम एवं मुकेश पुत्र मालीराम जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र में भी वादीगण का सही नाम श्योचन्द पुत्र मालीराम के स्थान पर सोहनलाल पुत्र मालीराम तथा मुकेश पुत्र मालीराम के स्थान पर अजय कुमार पुत्र मालीराम जाति जाट जाति जाट सा. देह खातेदार अंकित होना प्रकट होता है।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियां का प्रयोग करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला के भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 1.50 हैक्टर, 365 रकबा 2.63 हैक्टर, 422 रकबा 0.56 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.69 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम कमशः श्योचन्द पुत्र मालीराम के स्थान पर सोहन लाल सामोता उर्फ श्योचन्द पुत्र मालीराम सामोता एव मुकेश पुत्र मालीराम के स्थान पर अजय कुमार सामोता उर्फ मुकेश पुत्र [illegible] जाकर दुरूरत किया जाने की स्वीकृति [illegible] किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधो[illegible]री हो। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)